विचार बिन्दु

किसी भी हालत में अपनी शक्ति पर अभिमान मत कर, यह बहुरुपिया आसमान हर घड़ी हजारों रंग बदलता है। - हाफिज़

मदरसा एक्ट राज्य विधायिका की वैधानिक क्षमता के अन्दर है, किन्तु उच्च शिक्षा की डिग्री देना राज्य के दायरे में नहीं है

यू.पी. मदरसा एक्ट, 2004 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 5 नवम्बर, 2024 से राज्य की विधायिका की वैधानिक क्षमता के अधिकार क्षेत्र में माना है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय जो उक्त न्यायालय ने अन्जुम कादरी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (व अन्य कनेक्टेड मेटर्स) में दिया था उसे निरस्त करते हुये, संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी निर्णय में यह भी करार दिया है कि अधिनियम में 'फाजिल' और 'कामिल' की शिक्षा की डिग्री देना राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस कार्य को यू.जी.सी. एक्ट की धारा 22 के प्रतिकूल माना है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड, जस्टिस जे बी पारडीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा से बनी थी। यह कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय से 13364 मरदरसे जहाँ 12 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं प्रभावित हुये हैं। सुप्रीम कोर्ट की उक्त खण्डपीठ का यह निर्णय 70 पृष्ठों का है और इसे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने लिखा है तथा पीठ के साथी दोनों न्यायाधीश ने अपनी सहमति अभिव्यक्त की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला दिनांक 22 मार्च, 2024 इस मत पर आधारित था कि कोर्ट की धारणा थी कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) के विरूद्ध हैं तथा समाजवाद के सिद्धान्तों की अवज्ञा करते थे। हाईकोर्ट ने इस प्रकार मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था और यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नियमित स्कूलों में भेजने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि केवल मजहवी प्रशिक्षण दिये जाने के कारण इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। मदरसा कानून एनसीईआरटी की किताबों और धार्मिक शिक्षा का उपयोग कर शिक्षा देता है। पीठ ने माना कि राज्य सरकार के पास शिक्षा का मानक निर्धारित करने के लिये पर्याप्त शक्तियां हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:-

(अ) मदरसा अधिनियम शिक्षा के मानक निर्धारित करता है जिन्हें बोर्ड ने स्वीकार किया है।

(ब) मदरसा अधिनियम राज्य के उन कर्त्तव्यों की ओर इंगित करता है, जिनके कारण मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समाज में भागीदारी निभाने व जीविका उपार्जन करने के योग्य बनाया जाता है।

(स) संविधान का अनुच्छेद 21ए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक (Linguistic Minorities) को अपने शिक्षा के हेतु स्कूलों के प्रबन्धन का अधिकार है।

(द) मदरसा अधिनियम लाने का अधिकार राज्य की विधायिका का है और इसे शक्ति प्राप्त होती है एन्ट्र 25, लिस्ट 3 सं. 1 उच्च शिक्षा के अधिकार के अनुसार फाजिल व कामिल की शिक्षा का अधिकार यूजीसी एक्ट से है जो अपनी शक्ति लिस्ट 1 व एन्ट्री 66 से प्राप्त होता है।

इस प्रकार न्यायालय ने यह माना कि मदरसा अधिनियम के प्रावधान उचित है, वे विद्यार्थियों को शिक्षा के औचित्यपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है और उन्हें परीक्षा में बैठने के लिये तैयार करता है। मदरसा एक्ट परीक्षा के स्तर को सही रूप से नियंत्रित करता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के हेतु उन्हें योग्यता प्रदान करता है

इस प्रकार न्यायालय ने यह माना कि मदरसा अधिनियम के प्रावधान उचित है, वे विद्यार्थियों को शिक्षा के औचित्यपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है और उन्हें परीक्षा में बैठने के लिये तैयार करता है। मदरसा एक्ट परीक्षा के स्तर को सही रूप से नियंत्रित करता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के हेतु उन्हें योग्यता प्रदान करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह माना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को अवैध करार देकर निरस्त करने में गलती की है और हाईकोर्ट का निर्देशन कि विद्यार्थियों को रेगूलर स्कूलों में पढ़ाई हेतु भेजा जावे, वह भी गलत है। अपने 70 पृष्ठों के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का जो अधिकार है वह अक्षुण्ण नहीं है, अपितु राज्य सरकार को ैजंदकंतक वि म्कनबंजपवद का स्थापित करने के लिये उचित निर्देश देने का अधिकार है तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने के हेतु रेगूलेशन बनाने का भी अधिकार है।

मदरसा एक्ट किसी भी प्रकार शिक्षण संस्थान के संचालन करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करता।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जहां तक उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रश्न है तथा 'फाजिल' 'कामिल' की डिग्री प्रदान करने का प्रश्न है, राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह विषय यूजीसी एक्ट से सम्बन्ध रखता है। माननीय कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मदरसा बोर्ड 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को नियंत्रित कर सकता है।

मदरसा एक्ट किसी भी प्रकार धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं करता। धार्मिक शिक्षा देने का अर्थ यह नहीं है कि वह मुख्यधारा की शिक्षा (Standard of Education) का विकल्प है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में राज्य के दो मुख्य कर्त्तव्यों की ओर इंगित करते हुये कहा कि इनमें आपसी सामजस्य स्थापित होना चाहिये। राज्य का कर्त्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान शिक्षा के स्तर की श्रेष्ठता (Mainstream Education) पर कोई विपरीत असर नहीं हो और साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकार के प्रयोग में भी कोई कोताही न हो।

यू.पी. मदरसा एजूकेशन एक्ट को वैध मानते हुये सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या के सिद्धान्त को मजबूत धरातल दिया और कहा कि कोई भी कानून उस समय अवैध होता है जब वह संविधान के पार्ट-तृतीय में दिये गये मूल अधिकारों को खण्डित करता हो और उस कानून को बनाने का अधिकार विधायिका को नहीं हो। यहां हाईकोर्ट ने मदरसा अधिनियम का केवल इस बात पर निरस्त किया था कि मदरसा एक्ट संविधान के धर्मनिरपेक्षता का मूल संरचना सिद्धान्त (Basic Structure Principal of Secularism) के विरूद्ध था। यह सही नहीं था।

संविधान के अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार को माना है तथा अनुच्छेद 30 विधान के भाग 3 का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 28 में यह व्यवस्था है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

अल्पसंख्यक संस्था को घोषित करने के लिये क्या मानक होने चाहिये, यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की पीठ तय करेगी यह निर्देश संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के केस में बड़ी संविधान पीठ ने अभी कुछ दिन पूर्व दिये हैं। कोर्ट को यह देखकर निर्णय करना होगा कि संस्था की स्थापना का क्या उद्देश्य है और किसने की है? जमीन किसने दी है? प्रशासन कौन कर रहा है? शिक्षा मौलिक अधिकार है।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राष्ट्रवाद का सामाजिक अभिप्राय

प्रो. मनोज कुमार बहरवाल

बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवनकाल में जो भी कार्य किया, उन सभी कार्यों से भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया आशय मिला। यह सामाजिक आशय है। एक बार बाबा साहेब ने कहा था कि जब अस्पृष्यों के और देश के हितों में टकराव होगा तब अपनी ओर से मैं यह कहता हूँ कि अस्पृश्यता के हितों को प्रधानता दूंगा। छल करने वाली जो बहुसंख्यक जमात है, वह यदि देश के नाम पर भी बोल रही हो तो भी मैं उसे समर्थन नहीं दूंगा। मेरी यह भूमिका हरेक व्यक्ति द्वारा और हरेक स्थान पर समझ ली जानी चाहिए। देश का हित पहले है या मेरा हित पहले है यह सवाल यदि उठा तो मैं पहले देश का हित ही देखूंगा। बाबा साहेब ने देश और अस्पृश्यों के हित चिन्तन में सदैव समान्तर अनुपात बनाए रखा और राष्ट्रिहत को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की।

बाबा साहेब के संघर्ष का लक्ष्य था कि वे अस्पृश्यों के मन में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना भर कर उन्हें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलवा सकें। अस्पृष्यों के मुद्दों पर उन्होंने राष्ट्र हित से कभी कोई समझौता नहीं किया। भारत स्वतंत्र होना चाहिए , इस बात की उन्होंने कभी अनदेखी नहीं की। बाबा साहेब ने कहा कि एक अखण्ड स्वाधीन भारत ही मेरी नीति का ध्येय है। हम सब भारतीय हैं। यह भावना बढ़ाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। सभी भारतीयों को सर्वप्रथम भारतीय ही होना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। बाबा साहेब ने अपने आलेख जातिभेद निर्मूलन में लिखा है कि जाति भेद के कारण समाज और राष्ट्र कमजोर होता है। समाज को तोड़ने वाले भावनात्मक तंतु कमजोर करते हैं। जिस घर में फूट है वह घर टिक नहीं सकता। समाज की यह दरार यदि हमने पाटी नहीं तो हमारा लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा व् हमारी संस्कृति और स्वतंत्रता हाथ से चली जाएगी। बाबा साहेब ने एसा संकेत कई बार दिया। बाबा साहेब एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। बाबा साहेब ने समाज, लोकतंत्र, स्वतंत्रता को राष्ट्रीयता के सन्दर्भ में देखा और नख से शिख तक समता और सम्मान तथा परस्पर भाईचारा जैसा वातावरण बनाने का सदैव आग्रह किया। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से देश स्वतंत्र नहीं बना रहेगा और लोकतंत्र टिका भी नहीं सकता है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सामाजिक लोकतंत्र की महती आवश्यकता है।

सामाजिक लोकतंत्र समाज में सभी तरह की असमानता को दूर करके ही स्थापित और निर्मित किया जा सकता है। बाबा साहेब ने सामाजिक आशय पर कहा कि मेरा सामाजिक तत्वज्ञान निश्चित रूप से तीन शब्दों में पिरोया जा सकता है। वे शब्द हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता। किसी की यह नहीं समझना चाहिए कि मेरा यह तत्वं ज्ञान मैंने फ्रांस की राज्य क्रांति से उधार लिया है। मेरे तत्व ज्ञान का मूल धर्म में है, शासन प्रणाली में नहीं। अपने गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मैंने उसे निकाला है। परन्तु अमर्यादित स्वतंत्रता से समता का नाश होता है और विशुद्ध समानता स्वतंत्रता के लिए कोई गुंजाईश नहीं छोड़ती है। केवल स्वतन्त्रता और समता का उल्लंघन न हो इसलिए मेरे तत्वज्ञान में मात्र संरक्षण के रूप में निर्बंधों का स्थान है। परन्तु प्रतिबिम्ब स्वतंत्रता व समता सम्बन्धी होने वाले उल्लंघनों के खिलाफ गारंटी दे सकता है। ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। मेरे तत्वज्ञान में बन्धुता को बहुत ऊँचा स्थान है। स्वातंत्र्य और समता के सामने संरक्षण केवल बंधू भावना में ही है। इसका दूसरा नाम बन्धुता अथवा मानवता है और मानवता ही धर्म का दूसरा नाम है। बाबा साहेब एक राष्टभक्ति से भरपूर सच्चे भारतीय थे। उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया। अपनी संसदीय बहसों में वे जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता के घोर विरोधी रहे। अनुच्छेद 35 अ का सबसे पहले विरोध करने वालों में बाबा साहेब सबसे अग्रणी रहे थे। हिन्दू कोड और हिन्दू कोड बिल यह सिद्ध करते हैं कि वे सदैव भारतीयों का हित चिन्तन करते हैं।

प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार बहरवाल,
प्राचार्य, स. पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।

चांदनी चौक के शहीदों की अमर गाथा

हिंद की चादर गुरू तेग बहादुरजी के शहादत दिवस के संदर्भ में....

जसबीर सिंह

चौदहवीं व पंद्रहवी शताब्दी में भारत बाहरी आक्रान्ताओं के अत्याचार, कट्टर धर्मान्धता से ग्रस्त था। बाबर के समय हो रहे अत्याचारों पर सिख परम्परा के पहले गुरू गुरूनानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा "खुरासान खसमाना कीआ हिंदुसतान डराइआ। आपै दोसु न देई करता जमु कर मुगल चड़ाइआ। एती मार पई करलाणे तैं की दरद न आइआ।" अर्थात खुरासान से आये हुये मुगल आक्रान्ता ने हिन्दुस्तान की जनता को डरा रखा है व अत्याचार कर रखे हैं और हे ईश्वर क्या आपको आत्याचार से पीड़ित लोगों के लिये दर्द अनुभव नहीं हो रहा। बाहरी आक्रान्ताओं के अत्याचार निरन्तर जारी रहे तथा पाँचवें गुरू गुरू अर्जुन देव जी पर तत्कालीन शासक जहाँगीर के आदेश से जलती हुयी रेत डाली गयी, जलती हुयी लाल कढाही में डाला गया, गरम जल से नहलाया गया और उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गयी। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार तब तथाकथित सुविख्यात जहाँगीरी न्याय का यह उदाहरण संसार के सामने आया।

औरंगजेब के शासन काल में वृहतर समाज पर अत्याचारों व जबरन धर्मातंरण की पराकाष्ठा होने लगी। उसने मथुरा, काशी, गुजरात, उडीसा, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश आदि में मंदिरों को तुडवाना व बहुसंख्यक समाज पर अतिरिक्त कर (जजिया) लगा दिया। उसने अपने अधिकारियों को हुक्म दिया कि उनके माथे से तिलक मिटा दिये जाये और उनके जनेऊ उतारकर जबरन धर्मान्तरण कर दिया जाये। ऐसी परिस्थितियों में 500 कश्मीरी पंडितों का जत्था गुरू तेग बहादुरे के पास आनन्दपुर साहिब पंजाब पहुँचा व शासक के जुल्म से बचाने का आग्रह किया। तब गुरूजी ने उस दल से कहा कि जाओ और बादशाह के सिपहसलारों से कहो कि पहले गुरू तेग बहादुर को धर्मान्तरण कबूल करने के लिये मनायें फिर हम सब मुस्लिम धर्म कबूल कर लेंगे।

गुरूजी निर्दोष व मासूम लोगों को निष्ठुरता व जुल्म से बचाने के लिये अपने शिष्य भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला के साथ आनन्दपुर साहिब छोड़ पटियाला, धमतान, जींद, रोहतक, आगरा के रास्ते दिल्ली के लिये रवाना हो गये।

औरंगजेब दिल्ली से बाहर गया हुआ था। उसके वजीरों ने गुरू जी को बादशाह के हुक्म अनुसार इस्लाम धर्म कबूल करने के लिये कहा। 12 मार्गशीर्ष 1732 तद्नुसार वर्तमान 6 दिसम्बर का दिन था। जब हर कोशिश के बावजूद गुरूजी नही माने तो उन्हें डराने व झुकाने के लिये भाई मतीदास जी को लकड़ी के घेरे में खड़ा कर एक बड़े आरे से चिरवाया गया। भाई दयाला को उबलते पानी की देग में डाल दिया गया। फिर सतीदास को रूई में लपेटकर आग लगा दी गयी।

बादशाह के आदेश से गुरूजी को तंग पिंजरे में कैद कर दिया गया व उनके सामने तीन शर्तें रखी गयी। पहली कोई करामात करिश्मा दिखाइये या दूसरी इस्लाम कबूल कीजिये या फिर मृत्यु के लिये तैयार हो जाइये। गुरूजी के इन शर्तो को मानने से इंकार करने पर शाही फरमान आया कि चांदनी चौक में लोगों के सामने इन्हें मार डाला जाये। 1675 में आज ही के दिन गुरूजी ने प्रात:काल स्नान किया व जपुजी साहब का पाठ किया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गयी। आसमान पर बादल और काली घटायें छायी हुई थी, तेज हवायें चल रही थी, जल्लाद आया और तलवार से गुरू जी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। गुरूजी के शहीद होते ही हाहाकार मच गया "यह तो जुल्म है इतने बड़े संत का क्यों कत्ल कर दिया गया है यह शासन अब ज्यादा चलने वाला नहीं।" प्रकृति ने ऐसा रूप धारण किया कि आंधी तूफान के कारण मुगल सिपाहियों को कुछ दिखाई नही दे रहा था। चारों ओर भगदड़ मच गयी।

इस भागदौड़ में गुरूजी का एक श्रद्धालु "भाई जैता" आगे बढे, फुर्ती से गुरूजी का सीस उठाया, श्रद्धा से अपने कपड़ों में लपेट लिया और अपने दो साथियों "भाई नानू" और "भाई ऊद्धा" को साथ लिया तथा छिपते-छिपाते पाँच दिन की यात्रा पश्चात कीरतपुर पंजाब जा पहुँचे। जैता जी ने बोझिल मन से गुरू जी के सीस को उनके सुपुत्र गोविन्द राय के आगे रखा। गोविन्द राय ने भाई जैता के साहसिक कार्य को सरहाते हुये कहा "रंगरेटे गुरू के बेटे।" भाई जैता एक पिछड़ी जाति 'रंगरेटा' समाज के थे। गुरू तेग बहादुर के सीस का बड़े सत्कार के साथ आनन्दपुर साहिब में संस्कार किया गया जहाँ पर वर्तमान में बहुत ही सुन्दर गुरूद्वारा सुशोभित है।

उधर दिल्ली में गुरूजी के एक और श्रद्धालु शिष्य " लखी शाह बंजारा" व उसका बेटा " नगाहिया", रूई और दूसरे सामान की कई बैलगाडियॉ लेकर चांदनी चौक पहुँचे और भीड़ को चीरते हुये आगे आये, बड़ी फुर्ती से गुरूजी के धड़ को उठाया, रूई के ढेर में छिपाया तथा गाडियों को हॉक कर अपनी बस्ती रायसीना ले गये। इस दृश्य को उस वक्त के एक गायक केसौ भट्ट ने इस तरह वर्णन किया है :-

चलो चलाई हो रही, गड़ गड़ बरसे मेघ
लखी नगाहिया ले गये, तू खड़ा तमाशा देख

दूसरी तरफ मुगल सिपाही परेशान थे कि गुरू जी का सीस और धड़ कहॉ गायब हो गया। लखी शाह गुरू जी के धड़ को सत्कार से अपने घर जो वर्तमान रायसीना हिल पर स्थित था, ले गया और अंतिम संस्कार के लिये अरदास 'प्रार्थना' के पश्चात उसने अपने घर को ही आग लगा दी। मुगल फौज और लोगों ने यही समझा कि लखी शाह के घर को ही आग लग गयी है।

इस तरह ईश्वर ने "भाई जैता" और "भाई लखी शाह" के साहसिक कार्य द्वारा गुरू जी के शरीर का अपमान होने से बचा लिया। जहाँ लखी शाह ने अपने घर को आग लगाकर गुरू जी के धड़ का अंतिम संस्कार किया था वहॉ अब गुरूद्वारा रकाबगंज सुशोभित है जो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और केन्द्रिय सचिवालय के समीप स्थित है। जिस तरह चादर हमें सर्दी गर्मी से बचाती है व हमारी रक्षा करती है उसी तरह गुरू तेग बहादुर जी ने हिन्दु धर्म, तिलक, जनेऊ व हिन्दुस्तान की रक्षा की इसलिये उन्हें " हिन्द की चादर" कहा जाता है। निस्संदेह गुरू तेग बहादुर के धार्मिक स्वाधीनता के लिये दिये गये बलिदान ने औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरूद्ध प्रतिरोध को और अधिक मजबूत किया और साथ ही साथ विकासशील सिख समाज के विकास को चरम सीमा की ओर अग्रसर किया।

सनातन धर्म को मानने वाले इस बलिदान को अपने धर्म के लिये किया गया बलिदान मानने लगे और सम्पूर्ण पंजाब एवं उत्तर भारत में एक ज्वाला सी धधक उठी। सन् 1666 में जन्में गुरू गोविन्द सिंह जी ने 1675 में अपने पिता के हुये इस बलिदान का समाचार जब आनन्दपुर साहिब में सुना तो उन्होंने अनुभव किया कि सिख पंथ को मानने वालों ने बेशक बलिदान देकर मानवता के कोमल गुणों यथा विनम्रता, प्रेम, अहिंसा के पालन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है परन्तु अब समय आ गया है जब एक कुशल कारीगर की समय पर लगाई गयी हथौड़े की चोट के भांति समाज को मानवता के इन्हीं गुणों की सुरक्षा करने के लिये नये मोड़ पर ले जाया जाये।

गुरूजी की शहादत ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी जो अन्ततोगत्वा उसके पतन का प्रमुख कारण बनी। कालान्तर में 1783 में तीस हजार सिख सिपाहियों की फौज वर्तमान में तीस हजारी कोर्ट जिसका नाम इसी वजह से यह पड़ा, के स्थान से रवाना हुई व सरदार बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह आहुलवालिया के नेतृत्व में मुगल फौज को हराकर दिल्ली के लाल किले पर केसरिया खालसा ध्वज फहराया।

जसबीर सिंह,
पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग।

बीसलपुर बांध से लाखों रुपए कीमत की मछलियां रोजाना चोरी हो रही है

- **मत्स्य विभाग को प्रतिवर्ष छह करोड़ रुपए का रिवेन्यू देने वाले ठेकेदार को मछली चोरी के मामलों से नहीं मिल है रही राहत**
- **नियमों के तहत मत्स्य विभाग और पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे तो सरकारी कोष में हो सकता है और अधिक लाभ**
- **आर आर फिशरीज कंपनी का मानना है कि देवली की मछली मंडी में बिकता है चोरी का माल**

देवली, (निसं)। इन दोनों देवली उपखंड क्षेत्र के बीसलपुर बांध में मछली चोरी के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला बीसलपुर बांध के मत्स्य ठेकेदार आर आर फिशरीज कंपनी के डायरेक्टर ने जानकारी में बताया कि बुधवार को बीसलपुर बांध में बोट से गश्त करने के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने मछली चोरी करते हुए जावेद कुंदेडा नामक व्यक्ति को अवैध रूप से मछली निकालने के मामले में पकड़ा है। इस दौरान जावेद से चोरी की मछलीयां एवं जाल तथा अवैध नाव सहित इत्यादि सामग्रियां भी ठेकेदार की कर्मचारियों ने जप्त कर ली है।

यह भी बताया कि इस चोरी के मामले की जानकारी कंपनी ने पुलिस को पहुंचा दी है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष भारी बारिश के कारण बीसलपुर बांध का जलाशय लबालब भरा हुआ है। इस जलाशय का फैलाव तीन जिलों की सीमा तक बना हुआ है। तो वहीं राजस्थान सरकार के मत्स्य विभाग को प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व भी इसी बीसलपुर बांध के मत्स्य आखेट ठेके से प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहां बीसलपुर बांध के उक्त मत्स्य ठेकेदार को बांध से मछली चोरी को रोकने के मामले में संबंधित विभाग और पुलिस से फौरी फौरी मदद ही मिल पा रही है।

यहां मत्स्य ठेकेदार आर आर फिशरीज का मानना यह भी है कि अगर केकड़ी और भीलवाड़ा जिला पुलिस एवं मत्स्य विभाग से भी मछली चोरी को रोकने के मामलों में सहयोग मिल जाता है तो। भविष्य में राजस्थान सरकार के मत्स्य विभाग को और अधिक रिवेन्यू का लाभ पहुंच सकता है।

बीसलपुर बांध में मछली चोरी के मामलों से बीसलपुर बांध में मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में मत्स्य विभाग की अनदेखी के चलते बांध के जलभराव क्षेत्र में अवैध मछली शिकारियों की ओर से रोजाना दर्जनों अवैध नावों का संचालन कर लाखों रुपए की मछलियां खुलेआम अनैतिक तौर पर निकालकर देवली की मछली मंडी में पहुंचाई रही है।

देवली उपखंड क्षेत्र के बीसलपुर बांध में रोजाना मछलीयां निकाली जा रही है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 6 दिसम्बर, 2024

मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम सम्वत 2081, श्रवण नक्षत्र सायं 5.18 तक, ध्रुव योग दिन 10.43 तक, बालव करण दिन 12.08 तक, चन्द्रमा शनिवार प्रात: 5.07 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति - सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरु-वृष, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में संचार करेगा। आज सवार्थ सिद्धि ओर कुमार योग सूर्योदय से सायं 5.18 तक है। रवियोग 5.18 से आरम्भ होगा। आज श्रीराम जानकी विवाह, नाग पंचमी (दक्षिण भारत में), स्कन्ध षष्ठी है।

श्रेष्ठ चौघडिया - चट-सूर्योदय से 8.24 तक, लाभ-अमृत 8.24 से 11.00 तक, शुभ 12.18 से 1.36 तक

राहुकाल 10.30 से 12.00 तक, सूर्योदय 7.06 सूर्यास्त 5.29

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन
अपनी कार्य योजना को सीमित रखे। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। वाणि पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

कर्क
घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

सिंह
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ कार्य के लिए यात्रा सम्भव है।

तुला
घर परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अथितियों का आगमन रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे।

वृश्चिक
वृश्चिक - व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बडेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

धनु
व्यावसायिक कार्यों के लिए भाग-दौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक सम्पर्क बनेंगे।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित स्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।